[2018] 4 उम. नि. प. 430

गुजरात राज्य

बनाम

नवीनभाई चंद्रकांत जोशी इत्यादि

17 जुलाई, 2018

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 7, 13(1)(घ) और 20 – अवैध परितोषण की मांग और प्रतिग्रहण – दोषसिद्धि – छापामार दल द्वारा अभियुक्त-लोक सेवकों के कब्जे से दूषित धन अभिगृहीत किया जाना – जहां शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य और अन्य साक्ष्य से यह सिद्ध होता हो कि किसी अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग की गई है और उसकी प्रेरणा पर सह-अभियुक्त द्वारा इसे अभिगृहीत किया गया है तथा वे इस उपधारणा का खंडन करने में असफल रहते हैं कि उनके कब्जे में दूषित धन कैसे आया, वहां अभियुक्तों की दोषिता सिद्ध हो जाने पर उनकी दोषसिद्धि, न्यायोचित और विधिमान्य है ।

इस अपील के तथ्य यह हैं कि अभियुक्त सं. 1/प्रत्यर्थी सं. 2 जे. डी. पटेल गैर-कृषि विभाग में ज्येष्ठ लिपिक के रूप में कार्यरत था और अभियुक्त सं. 2/प्रत्यर्थी सं. 1 नवीनभाई चंद्रकांत जोशी भी उसी विभाग में कार्यरत था । शिकायतकर्ता-भगवानदास (अभि. सा. 1) एक थोक विक्रेता के रूप में चीनी का कारबार कर रहा था और वह एक नई फर्म आरंभ करने का इच्छुक था और इस प्रयोजन के लिए उसने एक भूखंड खरीदा था । यद्यपि भूखंड के मूल स्वामियों ने भूखंड को विभिन्न प्रयोजनों के लिए गैर-कृषि भूखंड में संपरिवर्तित करा लिया था, तो भी शिकायतकर्ता को गैर-कृषि कार्य की अनुज्ञा के लिए पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत करनी थी । उसने इसकी अनुज्ञा के लिए आवेदन किया । अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल उसे बार-बार यह आश्वासन दे रहा था कि वह उस की पुनरीक्षित योजना के लिए आवश्यक अनुज्ञा के अनुमोदन की बात को ध्यान में रखेगा । बाद में उसे अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के माध्यम से पता चला कि उसकी पुनरीक्षित योजना को स्वीकृत नहीं किया गया है और उसका आवेदन नामंजूर कर दिया गया है । तालुका विकास अधिकारी के निदेश पर शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत के कार्यालय में जुर्माना भी संदत्त

कर दिया और तालुका विकास अधिकारी के समक्ष रसीद प्रस्तुत कर दी गई । उस समय शिकायतकर्ता ने अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल से, जिसके पास अभि. सा. 1 की फाइल थी, मामले में शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करके आवश्यक अनुज्ञा प्रदान करने का अनुरोध किया । उस सुसंगत समय पर अभियुक्त सं. 1 ने मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए 1,000/- रुपए की मांग की और अंततोगत्वा यह बात 500/- रुपए में तय हुई । शिकायतकर्ता एसीबी कार्यालय में गया और अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज की । मामला रजिस्ट्रीकृत होने और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् एक छापामार दल की व्यवस्था की गई । अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 देवेंद्र कुमार के साथ अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के पास गया । अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल ने अभि. सा. 1 को अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई जोशी से मिलवाया और अभि. सा. 1 से कहा कि वह धनराशि गैलरी में अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई जोशी को दे दे । अभि. सा. 1 ने अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई जोशी को गैलरी में धनराशि का संदाय किया और उसने यह धनराशि अपनी कमीज की जेब में रख ली और अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के पास गया और बैठ गया । पूर्व-निर्धारित संकेत मिलने पर पुलिस दल अंदर आया और अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई से करेंसी नोट अभिगृहीत किए । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अवैध परितोषण की मांग और प्रतिग्रहण को अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य द्वारा और अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई की कमीज की जेब में तथा अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के दाएं हाथ पर एंथ्रासिन पाउडर की मौजूदगी द्वारा भी साबित किया गया है और दोनों को अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्तों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को यह अभिनिर्धारित करते हुए उलट दिया कि अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल से कोई बरामदगी नहीं हुई थी और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रिश्वत की मांग और प्रतिग्रहण की बात को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है और अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने व्यथित होकर दोषमुक्ति की शुद्धता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सुस्थिर है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को लोक सेवक द्वारा की गई रिश्वत की मांग और उसके प्रतिग्रहण की बात को सिद्ध करना चाहिए, विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों में जिनका संबंध छापा मारने से है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 के साक्ष्य से अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल और अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई द्वारा की गई मांग को साबित किया गया है । इसकी संपुष्टि अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई द्वारा पहनी हुई कमीज पर और अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के दाएं हाथ पर एंथ्रासिन पाउडर की मौजूदगी को दर्शित करने वाले पैरा-बैंगनी रोशनी के परीक्षण से होती है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 3 देवेन्द्र कुमार के साक्ष्य से होती है । उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई को इस बात का कोई विचार नहीं था कि अभि. सा. 1 द्वारा अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल को किस प्रयोजन के लिए धनराशि दी गई थी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई ने अभि. सा. 1 से मांग करने के उपरांत रिश्वत की रकम अभिगृहीत की थी । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य की उपेक्षा करके ठीक नहीं किया है, जिसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल ने भूखंड का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन कराने के लिए मामले में शीघ्रता से कार्रवाई करने हेतु 1,000/- रुपए की रिश्वत की मांग की थी और यह बात 500/- रुपए में तय हुई थी । अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई से दूषित करेंसी नोटों की बरामदगी और अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के दाएं हाथ और अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई की कमीज की जेब में एंथ्रासिन पाउडर की मौजूदगी से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि उन्होंने रिश्वत की रकम की मांग और प्रतिगृहीत करने में मिलकर काम किया था । जब अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य द्वारा अवैध परितोषण की मांग और प्रतिग्रहण की बात को साबित किया गया है, तब उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक नहीं किया है कि मांग और प्रतिग्रहण को साबित नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में किसी प्रकार की कमी नहीं है और उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की दोषसिद्धि को अपास्त करके न्यायोचित नहीं किया है । जहां तक अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए अधिनियम की धारा 20 के अधीन की गई उपधारणा का संबंध है, यह स्थिर विधि है कि अधिनियम की धारा 20 के अधीन की गई

उपधारणा एक खंडनीय उपधारणा है और अपीलार्थी पर इस उपधारणा का खंडन करने का जो भार डाला गया है वह अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता वाला भार है । चूंकि यह सिद्ध किया गया है कि अभियुक्तों के कब्जे में रिश्वत का धन था, इसलिए उनको ही यह स्पष्ट करना था कि उनके द्वारा रिश्वत का धन कैसे प्राप्त किया गया था और यदि वे कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण देने में असफल रहते हैं तो यह उपधारणा की जाएगी कि उन्होंने रिश्वत प्रतिगृहीत की थी । प्रस्तुत मामले में, अभियुक्तों ने अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अभि. सा. 1 और 3 के समस्त साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए था । जब विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित हैं, तब उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटकर ठीक नहीं किया है । (पैरा 8, 9, 10, 11 और 12)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 13 एस. सी. सी. 55 :
बी. जयाराज बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 8

[2009] (2009) 3 एस. सी. सी. 779 :
सी. एम. गिरिश बाबू बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केरल उच्च न्यायालय** । 11

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 895-896.

2000 की दांडिक अपील सं. 477 और 478 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के तारीख 16 अप्रैल, 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री हिमांतिक वाही (सुश्री), जीसल वाही (सुश्री), विशाखा (सुश्री), ममता सिंह (सुश्री), पार्थिक गोस्वामी, प्रधान गोहिल, विकास सिंह, तरुणा सिंह गोहिल (सुश्री), हिमांशु

चौबे और विकास सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) बानुमती – इजाजत दी गई ।

2. ये अपीलें 2000 की दांडिक अपील सं. 477-478 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 16 अप्रैल, 2015 को पारित किए गए उस निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 1992 के विशेष (एसीबी) मामला सं. 10 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि के निर्णय को उलट दिया और तद्द्वारा प्रत्यर्थियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें आगे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 के अधीन दोषमुक्त कर दिया ।

3. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियुक्त सं. 1/प्रत्यर्थी सं. 2 जे. डी. पटेल गैर-कृषि विभाग में ज्येष्ठ लिपिक के रूप में कार्यरत था और अभियुक्त सं. 2/प्रत्यथी सं. 1 नवीनभाई चंद्रकांत जोशी (नवीनभाई) भी उसी विभाग में कार्यरत था । शिकायतकर्ता-भगवानदास (अभि. सा. 1) एक थोक फुटकर विक्रेता के रूप में चीनी का कारबार करने वाला कारोबारी है । शिकायतकर्ता/अभि. सा. 1 एक्रीलिक मोनोमल का विनिर्माण करने के लिए पूरवी मोनोमल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई फर्म आरंभ करने का इच्छुक था और इस प्रयोजन के लिए उसने संदीप अग्रवाल और मनोज अग्रवाल से गांव छत्राल स्थित एक भूखंड खरीदा था । विक्रय करार दिसम्बर, 1990 में निष्पादित किया गया था और विक्रय-विलेख मार्च, 1991 में निष्पादित किया गया था । यद्यपि, भूखंड के मूल स्वामियों ने भूखंड को विभिन्न प्रयोजनों के लिए गैर-कृषि भूखंड में संपरिवर्तित करा लिया था, तो भी अभि. सा. 1 को आवश्यक गैर-कृषि अनुज्ञा के लिए पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत करनी थी ।

4. अभि. सा. 1 का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल अभि. सा. 1 को बार-बार यह आश्वासन दे रहा था कि वह उसकी पुनरीक्षित योजना के लिए आवश्यक अनुज्ञा के अनुमोदन की बात को ध्यान में रखेगा । अभि. सा. 1 को तारीख 27 मार्च, 1991 को अभियुक्त सं. 1-जे. डी. पटेल के माध्यम से पता चला कि अभि. सा. 1 की पुनरीक्षित योजना को स्वीकृत नहीं किया गया है और उसका आवेदन नामंजूर कर दिया गया है । तालुका विकास अधिकारी के निदेश पर अभि. सा. 1 ने

तारीख 2 अप्रैल, 1991 को ग्राम पंचायत, छत्राल के कार्यालय में 368.30 रुपए का जुर्माना संदत्त किया और तालुका विकास अधिकारी के समक्ष रसीद प्रस्तुत की गई । उस समय अभि. सा. 1 ने अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल से, जिसके पास अभि. सा. 1 की फाइल थी, यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया कि मामले में शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करके आवश्यक अनुज्ञा दी जाए । उस सुसंगत समय पर अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल ने मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए 1,000/- रुपए की मांग की और अंततोगत्वा यह बात 500/- रुपए में तय हुई । अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल ने अभि. सा. 1 से कहा कि वह उसे 500/- रुपए तारीख 3 अप्रैल, 1991 को भोजनावकाश होने से पूर्व संदाय कर दे और उसे यह धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् वह इस बात का ध्यान रखेगा कि अभि. सा. 1 के पक्ष में अनुज्ञा का आवश्यक आदेश पारित हो जाए । अभि. सा. 1 एसीबी कार्यालय में गया और अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज की । मामला रजिस्ट्रीकृत होने और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् एक छापामार दल की व्यवस्था की गई । तारीख 3 अप्रैल, 1991 को अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 देवेंद्र कुमार के साथ अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के पास गया । अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल ने अभि. सा. 1 को अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई जोशी से मिलवाया और अभि. सा. 1 से कहा कि वह धनराशि गैलरी में अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई जोशी को दे दे । अभि. सा. 1 ने अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई जोशी को गैलरी में धनराशि का संदाय किया और उसने यह धनराशि अपनी कमीज की बाईं जेब में रख ली और अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के पास गया और बैठ गया । पूर्व-निर्धारित संकेत मिलने पर पुलिस दल अंदर आया और अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई से करेंसी नोट अभिगृहीत किए । अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई जोशी की कमीज पर पैरा-बैंगनी रोशनी डालने पर उसके द्वारा पहनी हुई कमीज की बाईं तरफ की जेब पर एंथ्रासिन पाउडर की हल्की नीली रोशनी को सफेद देखा जा सकता था । इसी तरह, अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के हाथों पर पैरा-बैंगनी रोशनी डालने पर एंथ्रासिन पाउडर की हल्के नीले रंग की सफेद चमक अभियुक्त सं. 1 के दाएं हाथ की चार अंगुलियों पर देखी जा सकती थी । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के

लिए छह साक्षियों की परीक्षा की और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य द्वारा और अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई की कमीज की जेब में तथा अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के दाएं हाथ पर एंथ्रासिन पाउडर की मौजूदगी द्वारा भी साबित किया गया है । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 और 2 दोनों को अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और व्यतिक्रम खंड के साथ जुर्माना भी अधिरोपित किया ।

6. अभियुक्तों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को यह अभिनिर्धारित करते हुए उलट दिया कि अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल से कोई बरामदगी नहीं हुई थी और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रिश्वत की मांग और प्रतिग्रहण की बात को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है और अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने व्यथित होकर दोषमुक्ति की शुद्धता को चुनौती देते हुए ये अपीलें फाइल की हैं ।

7. हमने गुजरात राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री हिमांतिका वाही और प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पार्थिव गोस्वामी को सुना । हमने आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के निर्णय तथा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री का भी परिशीलन किया ।

8. यह सुस्थिर है कि अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन अपराध को, सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग करने और उसके प्रतिग्रहण की बात को सिद्ध करना चाहिए, विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों में जिनका संबंध छापा मारने से है । **बी. जयाराज** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

"7. जहां तक धारा 7 के अधीन अपराध का संबंध है, विधि में

---

[1] (2014) 13 एस. सी. सी. 55.

यह एक स्थिर स्थिति है कि उक्त अपराध का गठन करने के लिए अवैध परितोषण की मांग अत्यावश्यक है और करेंसी नोटों की मात्र बरामदगी से धारा 7 के अधीन तब तक अपराध का गठन नहीं हो सकता है जब तक कि सभी युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने धनराशि को स्वेच्छा से यह जानते हुए प्रतिगृहीत किया था कि यह रिश्वत है । इस न्यायालय के कई निर्णयों में उपरोक्त स्थिति को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से अधिकथित किया गया है । दृष्टांत स्वरूप सी. एम. शर्मा **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य [(2010) 15 एस. सी. सी. 1] और सी. एम. गिरिश बाबू **बनाम** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो [(2009) 3 एस. सी. सी. 779] वाले मामलों के प्रतिनिर्देश किया जा सकता है ।"

9. प्रस्तुत मामले में, अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल द्वारा धन की मांग करने और अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई द्वारा अभियुक्त सं 1 जे. डी. पटेल की प्रेरणा पर रिश्वत का धन प्रतिगृहीत करने की बात अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य द्वारा साबित होती है । अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में गैर-कृषि कार्य की पुनरीक्षित योजना की अनुज्ञा के अनुमोदन संबंधी मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल द्वारा रिश्वत की मांग करने के बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया है । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि जब वह तारीख 3 अप्रैल, 1991 को अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल से मिला, तो अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल ने उसे कहा कि यदि वह उससे कार्यालय में रकम लेता है तो यह अच्छा नहीं लगेगा और उसे अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई जोशी से मिलवाया तथा अभि. सा. 1 को उसे धनराशि देने के लिए कहा । अभि. सा. 1 ने आगे यह भी कथन किया कि वह गैलरी में गया और मुद्दामल करेंसी नोट अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई को दे दिए । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के पास गया और बैठ गया । पूर्व-निर्धारित संकेत मिलने पर पुलिस दल अंदर आया और अभियुक्त सं. 1 और 2 से पूछताछ की । अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई की तलाशी लेने पर उसकी कमीज की बाईं तरफ की जेब से मुद्दामल करेंसी नोट बरामद किए गए । पैरा-बैंगनी लैम्प की रोशनी डालने पर अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई की कमीज की बाईं तरफ की जेब में एंथ्रासिन पाउडर की मौजूदगी दिखाई दे रही थी । इसी तरह, अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के हाथों पर पैरा-बैंगनी लैम्प की रोशनी डालने पर एंथ्रासिन पाउडर की मौजूदगी दिखाई दे रही

थी । अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 के साक्ष्य से अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल और अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई द्वारा की गई मांग को साबित किया गया है । इसकी संपुष्टि अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई द्वारा पहनी हुई कमीज पर और अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के दाएं हाथ पर एंथ्रासिन पाउडर की मौजूदगी को दर्शित करने वाले पैरा-बैंगनी रोशनी के परीक्षण से होती है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 3 देवेन्द्र कुमार के साक्ष्य से होती है । विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि अभि. सा. 1 और 3 का साक्ष्य संगत है और वे विश्वसनीय साक्षी हैं । विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत अभियुक्त सं. 1 और 2 को दोषसिद्ध किया गया ।

10. उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल से कोई बरामदगी नहीं हुई थी और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई को इस बात का कोई विचार नहीं था कि अभि. सा. 1 द्वारा अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल को किस प्रयोजन के लिए धनराशि दी गई थी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई ने अभि. सा. 1 से मांग करने के उपरांत रिश्वत की रकम अभिगृहीत की थी । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य की उपेक्षा करके ठीक नहीं किया है, जिसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल ने भूखंड का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन कराने के लिए मामले में शीघ्रता से कार्रवाई करने हेतु 1000/- रुपए की रिश्वत की मांग की थी और यह बात 500/- रुपए में तय हुई थी । अभियुक्त सं. 2 नवीनभाई से दूषित करेंसी नोटों की बरामदगी और अभियुक्त सं. 1 जे. डी. पटेल के दाएं हाथ और अभियुक्त सं. 2-नवीनभाई की कमीज की जेब में एंथ्रासिन पाउडर की मौजूदगी से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि उन्होंने रिश्वत की रकम की मांग और प्रतिगृहीत करने में मिलकर काम किया था । जब अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य द्वारा अवैध परितोषण की मांग और प्रतिग्रहण की बात को साबित किया गया है, तब उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक नहीं किया है कि मांग और प्रतिग्रहण को साबित नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में किसी प्रकार की कमी नहीं है और उच्च

न्यायालय ने अभियुक्तों की दोषसिद्धि को अपास्त करके न्यायोचित नहीं किया है ।

11. जहां तक अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए अधिनियम की धारा 20 के अधीन की गई उपधारणा का संबंध है, यह स्थिर विधि है कि अधिनियम की धारा 20 के अधीन की गई उपधारणा एक खंडनीय उपधारणा है और अपीलार्थी पर इस उपधारणा का खंडन करने का जो भार डाला गया है वह अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता वाला भार है । **सी. एम. गिरिश बाबू** बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केरल उच्च न्यायालय**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "21. यह सुस्थिर है कि धारा 20 के अधीन की जाने वाली उपधारणा एक अनतिक्रमणीय उपधारणा नहीं है । अपराध से आरोपित अभियुक्त या तो उसके विरुद्ध उद्धृत साक्षियों की प्रतिपरीक्षा या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके इस उपधारणा का खंडन कर सकता है .....।
>
> 22. यह भी समान रूप से सुस्थिर है कि अभियुक्त व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा की गई है, पर डाला गया सबूत का भार उस भार के समान नहीं है जो अभियोजन पक्ष पर मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने के लिए डाला गया है..... ।"

चूंकि यह सिद्ध किया गया है कि अभियुक्तों के कब्जे में रिश्वत का धन था, इसलिए उनको ही यह स्पष्ट करना था कि उनके द्वारा रिश्वत का धन कैसे प्राप्त किया गया था और यदि वे कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण देने में असफल रहते हैं तो यह उपधारणा की जाएगी कि उन्होंने रिश्वत प्रतिगृहीत की थी ।

12. प्रस्तुत मामले में, अभियुक्तों ने अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । दूसरी ओर, अभि. सा. 1 का यह साक्ष्य कि अभियुक्त सं. 1 ने रिश्वत की मांग की थी, स्वाभाविक प्रतीत होता है । पुनरीक्षित योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन को पहले नामंजूर कर दिया गया था । जब शिकायतकर्ता और उसका अधिवक्ता तालुका विकास अधिकारी से मिले थे और उसके निदेश

---

[1] (2009) 3 एस. सी. सी. 779.

पर अभि. सा. 1 ने अपेक्षित जुर्माने की रकम का संदाय कर दिया था, तब फाइल आवश्यक रूप से आगे बढ़नी चाहिए थी । इस सुसंगत समय पर अभियुक्त सं. 1 ने अभि. सा. 1 से रिश्वत की मांग की । उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अभि. सा. 1 और 3 के समस्त साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए था । जब विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित हैं, तब उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटकर ठीक नहीं किया है ।

13. जहां तक अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के अधीन दोषसिद्धि के लिए कारावास के दंडादेश का संबंध है, विचारण न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो वर्ष के कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया है । घटना वर्ष 1991 अर्थात् लगभग 27 वर्ष पूर्व की है । बीत गए समय को ध्यान में रखते हुए, हम दो वर्ष के कारावास के दंडादेश को कम करके कानूनी एक वर्ष का न्यूनतम कारावास करते हैं ।

14. परिणामतः, 2000 की दांडिक अपील सं. 477-478 में उच्च न्यायालय के तारीख 16 अप्रैल, 2015 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(1)(घ) के अधीन अभियुक्त सं. 1 और 2 की दोषसिद्धि की अभिपुष्टि करते हुए ये अपीलें मंजूर की जाती हैं । प्रत्येक अभियुक्त पर अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के अधीन अधिरोपित दो वर्ष के कारावास को कम करके एक वर्ष किया जाता है । प्रत्यर्थी/अभियुक्त सं. 1 और 2 शेष कारावास भुगतने के लिए आज से दो सप्ताह के भीतर स्वयं को अभ्यर्पण करेंगे और असफल रहने पर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाएगा ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.